

प्रोजेक्ट टाइगर

प्रलिमिस के लिये:

प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगर रजिस्ट्रेशन, पग-मारक वधि, बाघ गणना, कैमरा-ट्रैप वधि, बन्यजीव (संरक्षण) अधनियम, 1972, राष्ट्रीय उदयान, बन्यजीव अभयारण्य, महत्त्वपूर्ण बाघ आवास (CTH), राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA), टाइगर टास्क फोर्स, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन नवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधनियम, 2006

मेन्स के लिये:

प्रोजेक्ट टाइगर तथा बाघों की संख्या के संरक्षण में इसका योगदान।

स्रोत: द हैट्स

चर्चा में क्यों?

हाल ही में टाइगर रजिस्ट्रेशन (55) की स्थापना तथा महत्त्वपूर्ण बन्यजीव संरक्षण कानूनों को कार्यान्वयिता कर समय के साथ बाघ संरक्षण पहल में विकास किया गया है।

- हालाँकि बन्यजीव (संरक्षण) अधनियम, 1972 तथा वन अधिकार अधनियम, 2006 के उल्लंघन के कारण वन प्रशासन तथा वनवासियों के बीच टाइगर रजिस्ट्रेशन में संघर्ष की स्थिति बढ़ गई है।
- पर्यावरण, वन और जलवायु परविरत्न मंत्रालय ने दो प्रमुख कार्यक्रमों प्रोजेक्ट टाइगर (PT) एवं प्रोजेक्ट एलीफेंट (Project Tiger and Elephant- PTE) को रूप में एकीकृत करने की घोषणा की।

बाघ संरक्षण में कौन-सी कमयाँ हैं?

- बन्यजीव संरक्षण (संशोधन) अधनियम, 2006 के तहत विकास परियोजनाओं के लिये "बाघ के वन" के डायवरज़न पर रोक नहीं लगाई गई तथा यदि बन्यजीवों से मानव जीवन को खतरा होता है तो उन्हें अंतमि उपाय के रूप में मारने की अनुमति दी जाती है।
- सरकार ने वर्ष 2009 में FRA नियमों को अधिसूचित करने तथा अधनियम को करियांवति करने की योजना बनाई।
 - कर्तु नवंबर 2007 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (National Tiger Conservation Authority- NTCA) ने एक आदेश पारति किया जिसमें मुख्य बन्यजीव वार्डनों को 800-1,000 वर्ग किमी के क्षेत्र वाले क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स (CTH) को अंकित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये 13 दिनों का समय दिया गया।
 - परिणामस्वरूप सरकार ने WLPA की धारा 38 (V) के प्रवधानों का अनुपालन किये बना 12 राज्यों में 26 टाइगर रजिस्ट्रेशन को संबद्ध अधिसूचना जारी की।
- समिलिपिल, ओडिशा में टाइगर रजिस्ट्रेशन, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स में बफर क्षेत्र का अभाव था।
 - 2012 में ही उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के एक निरिदेश के बाद शामलि किया गया था, जिसने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) को तीन महीने का अल्टीमेटम दिया था।
- टाइगर टास्क फोर्स ने पाया कि बंदुकें, गारड और बाड़ का उपयोग करने का दृष्टकोण बाघों की रक्षा नहीं कर रहा था, और वन/बन्यजीव नौकरशाही और बाघों के साथ सह-अस्ततिव रखने वालों के बीच बढ़ता संघर्ष आपदा का एक प्रकार था।

बाघ संरक्षण के लिये पहल:

प्रोजेक्ट टाइगर:

- परचियः
 - प्रोजेक्ट टाइगर भारत में एक बन्यजीव संरक्षण पहल है जिसे वर्ष 1973 में शुरू किया गया था।

- प्रोजेक्ट टाइगर का प्राथमिक उद्देश्य समर्पिति [टाइगर रजिस्ट्रेशन](#) बनाकर बाघों की आबादी के प्राकृतिक आवासों में अस्तित्व और रखरखाव सुनिश्चित करना है।
- 9,115 वर्ग किमी में फैले केवल नौ अभ्यारण्यों से शुरू होकर, इस परियोजना ने वन्यजीव संरक्षण प्रयासों में एक आदरश बदलाव को चहिनति किया है।
- बाघ गणना की वधि:
 - वर्ष 1972 में पहली [बाघ जनगणना](#) की अवशिष्टसनीय पग-चहिन वधि ने [कैमरा-ट्रैप वधि](#) जैसी अधिक स्टीक तकनीकों का मार्ग प्रशस्त किया।
- बाघों की जनसंख्या में वृद्धि:
 - 1972 में पहली बाघ जनगणना में 1,827 बाघों की गणिती के लिये अवशिष्टसनीय पग-चहिन पद्धति का उपयोग किया गया था।
 - 2022 तक, बाघों की आबादी 3,167-3,925 होने का अनुमान है, जो प्रतिवर्ष 6.1% की वृद्धिदर को दर्शाता है।
 - अब भारत विश्व के तीन-चौथाई बाघों का घर है।
- **टाइगर रजिस्ट्रेशन:**
 - 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर 9,115 वर्ग किमी. में फैले नौ अभ्यारण्यों के साथ शुरू हुआ। 2018 तक यह विभिन्न राज्यों में 55 रजिस्ट्रेशन तक बढ़ गया था, जो कुल 78,135.956 वर्ग किमी या भारत के भूमिक्षेत्र का 2.38% था।

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972:

- **वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972** वन्य जीवों और पौधों की विभिन्न प्रजातियों की सुरक्षा, उनके आवासों के प्रबंधन, वन्य जीवों, पादपों तथा उनसे बने उत्पादों के व्यापार के विनियमन एवं नियंत्रण के लिये एक कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।
- **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम (Wildlife (Protection) Act- WLPA), 1972** में बाघ संरक्षण के लिये आधार तैयार किया गया। इसने [राष्ट्रीय उदयानों](#) और [वन्यजीव अभ्यारण्यों](#) की स्थापना की, राज्य सरकारों के पक्ष में अधिकारों को अलग किया तथा कर्टिकल टाइगर हैबिटेस (**Critical Tiger Habitat- CTH**) की अवधारणा को पेश किया।
- वर्ष 2006 में **WLPA** में संशोधन से राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (**National Tiger Conservation Authority- NTCA**) और एक व्यापक बाघ संरक्षण योजना का निर्माण हुआ।
- इसने बाघ संरक्षण, वन संरक्षण और स्थानीय समुदायों की भलाई के बीच अवभाज्य संबंध को स्वीकार करते हुए, पूर्व के कैप्टविं संरक्षण दृष्टिकोण से बदलाव को चहिनति किया।

टाइगर टास्क फोर्स:

- वर्ष 2005 में बाघ संरक्षण के बारे में चतिओं से प्रेरिति [टाइगर टास्क फोर्स](#) के गठन ने पुनर्मूलयांकन की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। टास्क फोर्स ने मौजूदा रणनीति में कमयों को उजागर किया जो हथियारों, वनरक्षकों एवं बाड़ों पर बहुत अधिक निरभर थी।

बाघ

रॉयल बंगल टाइगर (Panthera Tigris) भारत का राष्ट्रीय पशु है।

बाघ की उप प्रजातियाँ

- * महाद्वीपीय (पैथेरा टाइग्रिस टाइग्रिस)
- * सुंडा (पैथेरा टाइग्रिस सोंडाइका)

प्राकृतिक अधिवास

उष्णकटिबंधीय वर्षावन, सदाबहार वन, समशीतोष्ण वन, मैंग्रोव दलदल, घास के मैदान और सवाना

देश जहाँ बाघ पाए जाते हैं

- 13 बाघ रेंज देश जहाँ यह प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं उनमें- भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, रूस, चीन, थाइलैण्ड, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम शामिल हैं।
- IUCN की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम में बाघ विलुप्त हो गए हैं।

संरक्षण की स्थिति

- IUCN रेड लिस्ट: लुप्तप्राय
- CITES: परिशिष्ट-I
- WPA 1972: अनुसूची-I

संरक्षण संबंधी प्रयास

- इंटरनेशनल बिंग कैंट्स एलायंस (IBCA): बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जैगुआर और घूमा नामक सात बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिये (भारत द्वारा शुरू)
- Tx2 अभियान: WWF द्वारा आरंभ किया गया; 2022 तक बाघों की आबादी को दोगुना करने के लक्ष्य को इंगित करते हुए 'टाइगर टाइम्स 2' को संवर्धित करता था
- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA): WPA, 1972 के तहत गठित
- प्रोजेक्ट टाइगर: 1973 में लॉन्च किया गया
- बाघों की गणना : प्रत्येक 5 वर्ष में

खतरे

- आवास विखंडन
- अवैध शिकार
- मानव-वन्यजीव संघर्ष

भारत में बाघ

- भारत में इनकी संख्या सबसे अधिक है
- वर्ष 2022 तक, भारत में बाघों की संख्या 3167 थी
- मध्य भारतीय उच्च भूमि और पूर्वी घाट में इनकी सबसे बड़ी आबादी पाई गई है
- टाइगर रिजर्व: भारत में अब 53 टाइगर रिजर्व हैं
- नवीनतम टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का रानीपुर है
- नागार्जुन सागर (आंध्र प्रदेश) सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है जबकि ओरंग (असम) सबसे छोटा (कोर क्षेत्र) है।



वन अधिकार मान्यता अधिनियम, 2006 क्या है?

- अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपराकि वन नवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अधिनियमन ने समुदायों में प्रथागत एवं पारंपराकि वन अधिकारों को मान्यता दी।
- इसने ग्राम सभाओं को अपनी सीमाओं के भीतर वन संसाधनों और जैवविविधि का लोकतांत्रकि ढंग से प्रबंधन करने का अधिकार दिया।
- महत्त्वपूर्ण वन्यजीव पर्यावास (Critical Wildlife Habitat- CWH):
 - वन अधिकार अधिनियम (Forest Rights Act- FRA) ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (WLPA) के तहत क्रिटिकल टाइगर हैबटिट (CTH) की भाँति एक 'क्रिटिकल वाइल्डलाइफ हैबटिट' (CWH) की शुरुआत की।
 - हालाँकि एक महत्त्वपूर्ण अंतर यह था कि एक बार CWH अधिसूचित हो जाने के बाद, इसे गैर-वानकी उद्देश्यों के लिये पुनरन्विदेशित नहीं किया जा सकता था। बातचीत के दौरान आदवासी आंदोलनों द्वारा इस विशेष खंड पर ज़ोर दिया गया था।
 - क्रिटिकल टाइगर हैबटिट्स (CTH) 42,913.37 वर्ग किमी. या राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के अंतर्गत 26% क्षेत्र को कवर करता है।
- ग्राम सभाओं को अपनी पारंपराकि सीमाओं के भीतर जंगल, वन्य जीवन और जैवविविधि की सुरक्षा, संरक्षण एवं नगरानी करने का अधिकार दिया गया था।

नष्टिकरणः

वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर से लेकर वर्ष 2006 के संशोधनों द्वारा NTCA के नियमाण तक की यात्रा बाघ संरक्षण और टकिऊ सह-असततिव के प्रति भारत की प्रतिविद्धता को दर्शाती है। सामुदायिक सशक्तीकरण का एकीकरण, वन अधिकारों की मान्यता और वन्यजीव संरक्षण के लिये एक सूक्ष्म दृष्टिकोण वन्यजीव संरक्षण में एक समग्र प्रतिमान प्रदर्शित करता है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

?/?/?/?/?/?/?/?/?:

प्रश्न 1. राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधनियम, 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये कौन-सा मंत्रालय नोडल एजेंसी है? (2021)

- (a) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- (b) पंचायती राज मंत्रालय
- (c) ग्रामीण विकास मंत्रालय
- (d) जनजातीय मामलों का मंत्रालय

उत्तरः (d)

प्रश्न 2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2018)

1. "संकटपूरण वन्यजीव पर्यावास" की परभाषा वन अधिकार अधनियम, 2006 में समाविष्ट है।
2. भारत में पहली बार बैगा (जनजाति) को पर्यावास का अधिकार दिया गया है।
3. केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत के किसी भी भाग में वशीष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों के लिये पर्यावास अधिकार पर आधिकारिक रूप से निरिण्य लेता है तथा इसकी धोषणा करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तरः (a)